सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

OPERATION CLEAN

प्रेस नोट- दिनांक 29.01.2024

इटावा पुलिस द्वारा 25,000/- के इनामियां शातिर चोर को पुलिस मुठभेड के दौरान किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में *थाना सैफई व थाना वैदपुरा* पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वारंटी/वांछित/इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम मे दिनांक 28/29.01.2024 की रात्रि को थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा नगला बरी तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान हवाई पट्टी की तरफ से नगला बरी की ओर आ रहे 01 मोटरसाइकिल सवार को पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो वह मोटरसाइकिल पीछे मोड़कर भागने लगा। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तथा कंट्रोल रुम के माध्यम से थाना सैफई को सूचना दी गई। **उसराही पुलिया के पास सामने से थाना सैफई पुलिस व पीछा कर रही वैदपुरा पुलिस टीम से अपने आप को घिरता देख अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तथा पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त आमीन पुत्र शहाबुद्दीन को दिनांक 29.01.2024 को समय 02.25 बजे उसराही बम्बा पुलिया के पास से घायल अवस्था मे गिरफ्तार किया गया। मठभेड के दौरान थाना वैदपुरा पर नियुक्त आरक्षी जौनी कुमार भी घायल हुआ है।**

उक्त गिरफ्तारी एव बरामदगी के संबंध मे थाना सैफई पर मु0अ0सं0 17/24 धारा 307 पु0मु0 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने अपने साथी इकरार पुत्र बन्ने एवं मुस्तकीम पुत्र जलालउद्दीन के साथ मिलकर **दिनांक 12/13.11.23 की रात्रि को** थाना सैफई क्षेत्र में रोडवेज डिपो से तिजोरी एवं कैश चोरी की थी, **14/15.12.2023 की रात्रि को** थाना वैदपुरा क्षेत्र के ग्राम नगला रैऊजा, **दिनांक 18/19.06.2023 की रात्रि** को थाना बकेवर एवं **दिनांक 25.11.2023 की रात्रि को** थाना भरथना क्षेत्र में चोरियां की थी। जिसमें अभियुक्त **मुस्तकीम पुत्र जलालुदीन निवासी चकरनगर थाना चकरनगर, इटावा एवं इकरार अली पुत्र बन्ने खाँ निवासी ग्राम रकसई थाना वैदपुरा, इटावा को दिनांक 13.12.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।**

नोटः- अमीन उपरोक्त थाना सैफई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 244 /23 धारा 411 /413 /414/ 380 भादवि में 25,000/- का इनामिया अभियुक्त है। उक्त चोरियों के संबंध में अन्य अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आये है जिन्हे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

आमीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी महावीर नगर गली नंबर 11 थाना कोतवाली देहात जनपद भिंड मध्य प्रदेश उम्र 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहासः-

1. **मु0अ0स0 78/23 धारा 380/411 भादवि थाना वैदपुरा इटावा।**
2. **मु0अ0स0 269/23 धारा 380/411 भादवि थाना जसवन्तनगर इटावा।**
3. **मु0अ0स0 285/23 धारा 380/411 भादवि थाना जसवन्तनगर इटावा।**
4. **मु0अ0स0 244/23 धारा 380/411/413/414 भादवि थाना सैफई इटावा।**
5. **मु0अ0स0 345/23 धारा 307/411/413/414 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा।**
6. **मु0अ0स0 280/17 धारा 395/412 भादवि थाना सचेण्डी कानपुर नगर।**
7. **मु0अ0स0 253/23 धारा 380/457 भादवि थाना बकेबर जनपद इटावा।**
8. **मु0अ0स0 254/23 धारा 380/457 भादवि थाना बकेबर जनपद इटावा।**
9. **मु0अ0स0 358/23 धारा 380/457 थाना बकेबर जनपद इटावा।**
10. **मु0अ0स0 346/23 धारा 380/411 भादवि थाना सहसो जनपद इटावा।**
11. **मु0अ0सं0 17/24 धारा 307 पु0मु0 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैफई जनपद इटावा।**

बरामदगीः-

1. **01 अवैध तमंचा 315 बोर**
2. **03 खोखा कारतूस 315 बोर**
3. **01 जिंदा कारतूस 315 बोर**
4. **01 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट *(धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज)***

पुलिस टीमः- प्रथम उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलांस मय टीम

द्वितीय- नि0 श्री बलराम मिश्रा प्रभारा थाना सैफई, उ0नि0 समित चौधरी थानाध्यक्ष वैदपुरा, उ0नि0 पवन कुमार, का0 वीकेश कुमार, का0 पुष्पेन्द्र सिंह, का0 अंकित चौहान, का0 विपुल कुमार , का0दिनेश चन्द्र, का0 जौनी कुमार, का0 जगवीर सिंह, का0अनुज कुमार।